

15/10/2019

पलावली पेडा हुई / वादी रक उनके
अधिकार को लीन बाइ उवाज दिलाफी
गयी, आज यह न्यायालय में उपास्थित
नही है। अतः बाद वादी अदम हाजरी
अदम पैरकी में खारिज किए जाता
है। पलावली निर्दिष्ट में शुमार होकर
बाम्बर से कम हो तथा बाद तामीन
तकमील दाखिल दस्तार हो।

निर्दिष्ट अदम
(अदम) पैरकी

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

